

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रालय-अ)

हम शिवशकर सिंह द्रस्टी, तिलका देवी मेमोरियल चेरिटेबल द्रस्ट 41 ए भद्री हाउस कम्हरी रोड प्रतापगढ़ (उत्तर) शपथपूर्वक निम्नलिखि व्याप करती हैं कि:-

1. यह कि हमारे द्रस्ट द्वारा तिलका देवी इस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड नर्सिंग, पता श्याम सोनावा तहसील सदर प्रतापगढ़ नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे द्रस्ट के तिलका देवी इस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड नर्सिंग, पता श्याम सोनावा तहसील सदर प्रतापगढ़ में गाठा सं० 526, 527 एवं 528 कुल रकबा 0.820 हेक्टर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पर्याप्त भूमि के गाठा सं० 526, 527 एवं 528 कुल रकबा 0.820 हेक्टर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव द्रस्ट की बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के राज्यालय हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण रामिति के सामाज उपरोक्त पर्याप्त भूमि पर द्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण रामिति और समस्त निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही सचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मेसी कार्यालय आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रयोग क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विधिवालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विधिवालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का सचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के सचालन हेतु आवश्यक बलास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कार्यालय आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के सचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशीक्षिक रसाफ की तैनाती द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी सामय रथलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं भुजे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, छोटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार स्वयं उत्तरदायी होऊंगी।

१२९२१
१० दस्ती
कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी।

गोपनीय नियमानुसार
प्राविधिक शिक्षा परिषद
कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी।

